न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : 191/18 (वाद)
GCMS No. : 2018/00400

अनवान

1. श्री सुखलाल पिता हिरालाल जी जाति सुथार, आय वयस्क, निवासी सिन्दू तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

............वादी

बनाम्

1. भोलीराम पिता गणेश जी जाति डांगी, आयु वयरक, निवासी सिन्दु तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. गांगू उर्फ गांगीलाल पिता श्री रता जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी सिन्दु, तहसील गावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. प्रेमा पिता रता जी जाति डांगी, आयु वयस्क निवासी सिन्दु, तहसील ' मावली, जिला जदयपुर (राज०)
4. गुलाबी बेवा रता जी जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी सिन्दु, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. देवीलाल पिता गणेश जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी सिन्दु तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. उदयलाल पिता कन्हैयालाल जी जाति डांगी, आयु वयरक, निवासी सिन्दु, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. हिम्मतलाल पिता कन्हैयालाल जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी सिन्दु तहसील गावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. तुलसीराम पिता देवीलाल जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी सिन्दु, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. पटवारी, पटवार हल्का सिन्दु, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
10. उप पंजीयन अधिकारी, मावली, जिला उदयपुर (राज०)
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री जयेश जैन, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 6, 7।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 16:29:55 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
काउण्टर वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

दिनांक : 12.01.2026

1. वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सिन्दु, पटवार हल्का सिन्दु, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 193 रकबा 16 बिस्वा में उदयलाल हिम्मतलाल पिता कन्हैयालाल 1/4 हि.ब., गांगु पेमा शंकर पिता रता गुलाबी बेवा रता 1/4 हि.ब, देवीलाल भोलीराम पिता गणेश डांगी 1/2 हिस्सानुसार अंकित है। उक्त वर्णित आराजी सम्वत् 2062 से 2065 की राजस्व जमाबन्दी में उदयलाल हिम्मतलाल पिता कन्हैयालाल 1/4 हि.ब., मांगु पेगा शंकर पिता रता गुलाबी बेवा रता 1/4 हि.ब., देवीलाल मोलीराम पिता गणेश डांगी 1/2 हिस्सानुसार राजस्व रेकर्ड में अंकित थी जिसमें से इस भूगि के प्रतिवादी सं. 2, 3, 4 एवं प्रतिवादी सं. 1, 5 क्रमशः मांगु पेमा पिता रता, गुलाबी बेवा रता एवं देवीलाल भोलीराम पिता गणेश डांगी ने उक्त आराजी में निहित अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा भूगि अर्थात कुल 0.11 ग्यारह बिस्वा कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 12.04.2006 को 12,000/– बारह हजार रूपया में मुझ वादी को विक्रय कर दिया तथा विक्रीत कृषि भूमि का मौके पर मुझ वादी को कब्जा सिपुर्द कर दिया। अंत में निवेदन किया की रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादी को उक्त वादग्रस्त भूमि में खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5, 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 9 से 11 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नही करना चाहा। प्रतिवादी संख्या 6, 7 द्वारा वादी के वाद को अस्वीकार करते हुए जवाब मय काउण्टर वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में उत्तरदाता प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का कथित तौर पर 1/4 हक व हिस्सा दर्शाया गया है, वह गलत है कारण कि उत्तरदाता की उक्त सहखातेदारान् के अन्य आराजी भूमि नम्बर 109, 118, 156 वाके ग्राम सिंधु को सम्मिलित करके कानूनी ढंग से बंटवाड़ा परस्पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:29:55 IST
Reason: SelfAttested

मौके पर काबिज खातेदारान् के मध्य कर दिया गया। कथित बटवाड़े से तुलसीराम प्रतिवादी संख्या 8 व अन्य खातेदारान् को भूमि अन्य आराजी में बंटवाड़े में प्राप्त हुई तथा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का वादग्रस्त आराजी भूमि में हिस्सा 1/2 कायम हो गया जो कि कानूनी ढंग से उचित है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तथा 8 जैसी भी स्थिति हो बिना कानूनी बंटवाड़ा करवाये किसी भी अंशधारी (सह काश्तकार खातेदार) को संयुक्त आराजी भूमि अंतरित करने का अधिकार नहीं रह जाता है। यदि उल्लेखित प्रकार से जैसा कि वर्णित है प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने वादग्रस्त भूमि में अपना अंश का विक्रय दर्शाया है। उसे भी उत्तरदाता जो कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22 तथा अनुसूचि 1 के प्रभाव से अंतरण विलेख पर अंकित विक्रय मूल्य पर भूमि को पुनः वादी से क्रय करने का कानूनी अधिकार रखते है। साथ ही लेख है कि वादी का वादग्रस्त भूमि पर क्रय दिनांक 12.04.2006 (जैसा वाद में वर्णित है) से दावा करने की मयाद (वाद कारण उत्पन्न) 10.08.2018 के बाद प्रस्तुत किया गया है जो कि स्पष्टतः 12 वर्ष गुजरने के बाद अर्थात् कब्जे के लिए वाद की विहित अवधि 12 वर्ष की मयाद गुजरने के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है ।

3. प्रतिदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रतिवादी संख्या 6 तथा 7 को वादी के कथित क्रय–पत्र की प्रथम बार जानकारी जब प्रतिवादीगण को वाद पत्र की प्रति दिनांक 28.08.2018 के बाद प्राप्त हुई तब हुई । वादी का वादग्रस्त भूमि पर क्रय दिनांक 12.04.2006 से आज दिनांक तक कोई वास्तविक कब्जा नहीं होने से तथा कब्जेयाबी के दावे के अभाव में केवल बंटवाड़ा का दावा संधारण योग्य नहीं है । वादी का वाद क्रय पत्र दिनांक 12.04.2006 से कानूनी रूप से कब्जेयाबी के अनुतोष के लिए विहित कालावधि बारह वर्ष के अवसान पर वह भी केवलमात्र बंटवाड़ा हेतु प्रस्तुत होने से धारा 63 (1) (4) राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव से अवसान को प्राप्त हो जाने से वादी के अवशिष्ट हक जो कथित क्रय पत्र से वादी होना दर्शा रहा है। अवसान हो जाने से वादी वादोल्लेखित किसी अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। चूंकि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी उत्तरदाता 6 तथा 7 अपने पिता के सन् 1989 को स्वर्गवास हो जाने से ही मौके पर खातेदार काश्तकारान् के साथ काबिज चले आने से प्रतिवादी / प्रतिदावाकर्ता [illegible] तथा 7 वादी के विरूद्ध अपने पक्ष में पूर्वोक्त जवाबदावे तथा प्रतिदावे के [illegible] पर विद्यमान प्रथम दृष्टया मामले,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 16:29:55 IST
Reason: SelfAttested

सुविधा संतुलन का बिन्दु तथा अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रमाणित होने से प्रतिवादी संख्या 6 तथा 7, वादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है । अंत में निवेदन किया की प्रस्तुत जवाबदावा तथा प्रतिदावा को अंतस्थ कर वादी का वाद सव्यय खारिज फरमाकर प्रतिवादी संख्या 6 तथा 7 के प्रतिदावे को सादर डिक्री फरमा वादी को इस आशय का स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाया जावें कि, वादी, प्रतिवादी संख्या 6 तथा 7 के मौजूदा कब्जे काश्त में कथित क्रय–पत्र दिनांक 12.04.2006 के आधार पर, बेजा दखलंदाजी से प्रविरत रहे, ऐसा कृत्य न तो स्वयं करें न ही किसी अन्य से करावें ।

4. प्रकरण में दिनांक 29.01.2025 को अधिवक्ता वादी एवं स्वयं वादी अनुपस्थित रहने से वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। साक्ष्य प्रतिवादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्यप्रतिवादी गवाह डी.डब्ल्यू 1 उदयलाल पिता कन्हैयालाल एवं गवाह डी.डब्ल्यू 2 हिम्मतलाल पिता कन्हैयालाल के मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए। गवाह डी.डब्ल्यू 1 उदयलाल पिता कन्हैयालाल द्वारा दस्तावेज मौजा सिन्दु की नकल जमाबंदी संवत 2070–73 की खाता संख्या 7 प्रदर्श डी 1, खाता संख्या 138 प्रदर्श डी 2, खाता संख्या 137 प्रदर्श डी 3, जमाबंदी संवत 2062–65 की खाता संख्या 9 प्रदर्श डी 4, जमाबंदी संवत 2066–69 की खाता संख्या 8 प्रदर्श डी 5 करवाए गए।

5. हमने अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 6, 7 की एकतरफा बहस पर मनन किया। दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रदर्श डी 1 ग्राम सिन्दु पटवार हल्का सिन्दु तहसील मावली हाल घासा जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2070–73 के खाता संख्या 7 पर दर्ज आराजी नम्बर 193 रकबा 16 बिस्वा भूमि उदयलाल, हिम्मतलाल पिता कन्हैयालाल 1/4 हि.ब., मांगु, पेमा, शंकर पिता रता, गुलाबी बेवा रता 1/4 हि.ब., देवीलाल पिता गणेश 1/4, तुलसीराम पिता देवा 1/4 डांगी सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। नामान्तरकरण संख्या 1249 दिनांक 08.07.2016 से वादग्रस्त भूमि का विभाजन होकर प्रतिवादी संख्या 6 उदयलाल के नाम आराजी नम्बर 193/2 रकबा 4 बिस्वा एवं प्रतिवादी संख्या 7 हिम्मतलाल के नाम आराजी नम्बर 193 मी. रकबा 4 बिस्वा दर्ज की गई। उक्त विभाजन का नामान्तरकरण सन् 20[illegible] वाया गया है। प्रकरण में संलग्न रजिस्टर्ड विक्रय पत्र [illegible] फोटोप्रति के अनुसार वादी द्वारा 12.04.2016 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Pinadia
Date: 2026.02.10 16:29:55 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त भूमि में से हिस्सा क्रय करना बताया है। प्रकरण में वादी द्वारा जिन खातेदारो से भूमि 2006 में क्रय करना बताया है उन खातेदारो के नाम सहमति विभाजन के पश्चात केवल मात्र 8 बिस्वा भूमि ही शेष रही है। प्रतिवादी संख्या 6, 7 का उक्त वादग्रस्त भूमि में केवल मात्र 1/4 हिस्सा ही निहित था। जो 4 बिस्वा भूमि बनती है। परन्तु सहमति विभाजन में प्रतिवादी संख्या 6, 7 को 8 बिस्वा भूमि दी गई है।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में हिस्से संबंधि विवाद है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 6, 7 को प्रकरण में यह भी साबित कराना आवश्यक है कि वादग्रस्त भूमि के 8 बिस्वा भूमि पर उनका कब्जा है या नही? प्रतिवादी संख्या 6, 7 द्वारा कब्जे संबंधी केवल मात्र मौखिक कथन ही किया गया है। कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया गया है। जब कि न्यायायिक दृष्टांत आरआरटी 2021 पेज नम्बर 260 में स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार करने हेतु वादी का कब्जा होना आवश्यक है। इस प्रकरण में भी प्रतिवादी संख्या 6, 7 सहमति विभाजन में 4 बिस्वा भूमि अधिक दर्ज कर दी गई। परन्तु 4 बिस्वा भूमि अधिक दर्ज की गई उस भूमि पर प्रतिवादी संख्या 6, 7 का कब्जा है या नही? इस संबंध में कोई ठोस साक्ष्य पत्रावली में नही है। ऐसे में प्रतिवादी संख्या 6, 7 काउण्टर वाद साबित कराने में असफल रहे। उपर्युक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांत के आधार पर प्रतिवादी संख्या 6, 7 का काउण्टर वाद खारिज योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 6, 7 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मेंटेबल नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:29:55 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री सुखलाल पिता हिरालाल जी जाति सुथार, आय वयस्क, निवासी सिन्दू तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....वादी

बनाम्

1. भोलीराम पिता गणेश जी जाति डांगी, आयु वयरक, निवासी सिन्दु तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. गांगू उर्फ गांगीलाल पिता श्री रता जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी सिन्दु, तहसील गावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. प्रेमा पिता रता जी जाति डांगी, आयु वयस्क निवासी सिन्दु, तहसील ' मावली, जिला जदयपुर (राज०)
4. गुलाबी बेवा रता जी जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी सिन्दु, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. देवीलाल पिता गणेश जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी सिन्दु तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. उदयलाल पिता कन्हैयालाल जी जाति डांगी, आयु वयरक, निवासी सिन्दु, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. हिम्मतलाल पिता कन्हैयालाल जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी सिन्दु तहसील गावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. तुलसीराम पिता देवीलाल जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी सिन्दु, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. पटवारी, पटवार हल्का सिन्दु, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
10. उप पंजीयन अधिकारी, मावली, जिला उदयपुर (राज०)
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
काउण्टर वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 191/18 (वाद)
GCMS No. : 2018/00400

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

प्रतिवादी संख्या 6, 7 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मेंटेबल नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 12.01.2026 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Siryl Punadia
Date: 2026.02.10 15:29:55 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली